भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2389

उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट

2389. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

श्री जय प्रकाश:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2010 **से पहले नियुक्त कई शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू भर्ती नियमों के अनुसार की गई थी और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करने का नियम बाद में लागू किया गया था;**

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता से छूट या विशेष प्रावधान करने के संबंध में राज्यों के साथ कोई परामर्श या समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010 **से पहले नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए टीईटी की अनिवार्य आवश्यकता को हटाने या किसी वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने का है; और**

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ड़): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आती है।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 01.09.2025 **के अपने निर्णय के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम,** 2009 **की धारा** 23 **के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है, और अधिनियम के तहत शामिल किए गए स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को** https://api.sci.gov.in/supremecourt/2018/36466/36466_2018_9_1501_63764_Judgement_01-Sep-2025.pdf **लिंक पर देखा जा सकता है।**

इसके बाद, मामले में पुनर्विचार याचिकाओं का निपटान करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29.05.2026 के निर्णय के माध्यम से टीईटी योग्यता प्राप्त करने की समय-सीमा दिनांक 31.08.2027 से बढ़ाकर दिनांक 31.08.2028 कर दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 29.05.2026 के निर्णय को https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/53434/53434_2025_7_1501_71637_Judgement_29-May-2026.pdf. लिंक पर देखा जा सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29.05.2026 के निर्णय में आगे कहा है कि संबंधित उपयुक्त सरकारों/प्राधिकरणों को समय-समय पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित करने का प्रयास करना चाहिए, अधिमानतः प्रत्येक वर्ष में दो बार, लगातार परीक्षाओं के बीच लगभग छह माह का अंतराल रखा जाए, ताकि पात्र शिक्षकों को निर्धारित न्यूनतम योग्यता का पालन करने का उचित अवसर मिल सके।
